



2026:AHC-LKO:41328

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4249 वर्ष 2026

अफसर अली

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल

सचिवालय, लखनऊ और 4 अन्य

.... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: अशोक कुमार श्रीवास्तव, अविनाश श्रीवास्तव
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. श्री अविनाश श्रीवास्तव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री मयंक सिन्हा, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 88 वर्ष 2026 धारा 137(2), 87, 352, 351(2), 65(1) बी०एन०एस०, धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v), 3(2)(वक) एससी/एसटी अधिनियम तथा धारा 3/5(1), 3(1)/5(3) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत थाना-पट्टी, जिला-प्रतापगढ़ में पंजीकृत में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपर्युक्त मुकदमा 16.03.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया यह कहते हुये कि आवेदक ने 16.03.2026 को सूचनाकर्ता की 15 वर्ष आयु की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।

4. धारा 180 बी०एन० एस०एस० के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन में उसने कहा है कि उसकी आयु 15 वर्ष है, वह कक्षा 9 में अध्ययनरत है, उसका संपर्क इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से आवेदक से हुआ और आवेदक ने दिसंबर माह में उससे विवाह करने का वादा किया था। आवेदक ने उसे फोन किया, वह उसे पट्टी ले गया, वहां से उसने उसे प्रयागराज जाने वाली बस में बैठा दिया। आवेदक ने कहा था कि वह भी प्रयागराज पहुंचेगा लेकिन जब आवेदक प्रयागराज में उससे नहीं मिला, तो वह पट्टी लौट आई।

5. विवेचक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में पीड़िता ने इस बात से इनकार किया कि आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. पीड़िता को चिकित्सीय-विधिक परीक्षण के लिए ले जाया गया और चिकित्सक को घटना बताते समय उसने कहा कि वह पिछले एक वर्ष से आवेदक से प्रेम करती है और वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रयागराज गई थी। पीड़िता ने आंतरिक चिकित्सीय-विधिक परीक्षण कराने से इनकार किया।

7. धारा 183 बी० एन० एस० एस० के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन में उसने अपने पूर्व कथन को दोहराया लेकिन उसने यह भी जोड़ा कि आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं।

8. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह कहा गया है कि आवेदक 19 वर्ष आयु का एक युवा लड़का है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे वर्तमान मुकदमे में झूठा फंसाया गया है।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन की सूचना 20.05.2026 को पुलिस के माध्यम से सूचनाकर्ता को दी गई है लेकिन जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए उसकी ओर से किसी ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान आरोप स्थापित किए गए और 04.05.2026 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

10. मुकदमे के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा पीड़िता के लगातार दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए कि वह आवेदक से प्रेम करती है, यद्यपि धारा 183 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में उसने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोप लगाया है कि आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यह आरोप चिकित्सीय-विधिक परीक्षण आख्या के निष्कर्षों से समर्थित नहीं है क्योंकि पीड़िता ने उक्त परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था और चिकित्सक के समक्ष कहा था कि वह आवेदक से प्रेम करती है; कि जब दो युवा व्यक्ति एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे केवल दिखावट के आधार पर एक-दूसरे की सही आयु जानते हैं, इस तथ्य के साथ कि आवेदक 19 वर्ष आयु का एक युवा लड़का है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19.03.2026 से जेल में निरुद्ध है जबकि विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मेरा मत है कि उपरोक्त तथ्य आवेदक को उपरोक्त मुकदमे में जमानत पर रिहा किए जाने का मामला बनाए जाने के लिए पर्याप्त हैं।

11. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक- **अफसर अली** को उपरोक्त मुकदमे में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के दो जमानतदारों और एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति से छूट न दी जाए।

17 जून 2026

-अमित के-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।